	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		धारा 5 CPC के तहत प्रकरण खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र शुरू होकर दायरा में कम होकर खारिज करता है। पुनश्चः मूल वाद का निस्तारण हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र को ऐसे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना खारिज करता है। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी	